Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd., Udyog-Bhawan,
Tilak-Marg, Jaipur-302005

No: IPI/P-6/Policy/05/2013/ 523
Dt: 30th May 2013

OFFICE ORDER (8 /2013)

Sub: Continuous Production Incentive Scheme in RIICO Industrial Areas- Implementation of Budget Announcement made in State Budget 2013-14 .

An agenda item (5) was placed before the IDC in its meeting held on 24.05.2013. The IDC has accorded approval for granting Continuous Production Incentive Scheme in RIICO Industrial Areas of Rajasthan. A Copy of the scheme for Continuous Production Incentive is enclosed herewith as **Annexure-A.**

(Chetan Deora)
Advisor (Infra)

Annexure-A

उत्पादन निरन्तरता पुनर्भरण योजना

इस योजना के अन्तर्गत रीको के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में दिनांक 01.06.2013 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखण्डों पर लागू होगी।

इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार होंगी :—

1. यह योजना रीको के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में दिनांक 01.06.2013 एवं उसके पश्चात नये आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखण्डों पर लागू होगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत आवंटी को भूखण्ड आवंटन की शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि में नियमानुसार उत्पादन कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा आगे 5 वर्ष तक लगातार उत्पादनरत रहना होगा।
3. आवंटी द्वारा निगम को भुगतान की गई भूमि की कीमत की 25 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण उत्पादन प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जायेगा। उक्त देय 25 प्रतिशत राशि में से 10 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने के 3 वर्ष पश्चात एवं शेष 15 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने के 5 वर्ष पश्चात देय होगी।
4. 10000 वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड आवंटियों को तथा रू0 50 करोड से अधिक का विनियोजन करने वाले उद्यमियों को उत्पादन प्रोत्साहन राशि, भूमि आवंटन के समय/पश्चात भूमि की कीमत में दी गई छूट की राशि को कम करते हुए दी जावेगी।
5. नीलामी से आवंटित भूखण्ड के आवंटियों को उत्पादन प्रोत्साहन राशि, भूमि आवंटन के समय औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित आवंटन दर से भूमि की कीमत का आंकलन कर देय होगी।

6. नियम 3 (डब्ल्यू) के अन्तर्गत संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किए गए भूखण्डों के आवंटियों को इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

7. आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड पर 5 वर्षो तक सतत उत्पादन किये जाने के सत्यापन हेतु वांछित दस्तावेज जैसे– कर भुगतान की रसीद, आयकर रिटर्न, बिजली, पानी के बिल एवं कम्पनी/फर्म की बेलेन्स शीट इत्यादि दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ये सभी दस्तावेज चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सत्यापित होना आवश्यक है।

8. आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड की निष्पादित लीजडीड की सभी शर्तों की पालना करने पर ही उत्पादन प्रोत्साहन राशि देय होगी।

9. आवंटी के द्वारा आवंटित भूखण्ड पर उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने की निर्धारित समयावधि को बढाने की मांग करने अथवा समयावधि बढ़ाए जाने पर उत्पादन प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी। अर्थात उत्पादन प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता के लिए निर्धारित समयावधि में ही उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।

10. इस योजना के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटी के द्वारा उत्पाद में परिवर्तन करने अथवा कवर्ड एरिया में किसी प्रकार की छूट चाहने पर उक्त राशि देय नहीं होगी।

11. आवंटी को उत्पादन से संबंधित यदि राज्य/केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की छूट/रियायत राशि प्राप्त हुई है, तो उत्पादन प्रोत्साहन राशि में से उक्त छूट/रियायत की राशि को समायोजित/कम नहीं किया जायेगा।

12. आवंटित भूखण्ड के हस्तान्तरित किए जाने पर उत्पादन प्रोत्साहन राशि भूखण्ड के हस्तान्तरी को भी उपरोक्तानुसार पात्रता की शर्तो को पूर्ण करने पर ही देय होगी।

उक्त योजना आईडीसी की बैठक दिनांक 24.05.2013 में जारी स्वीकृति की अनुपालना में जारी की जा रही है।

सलाहकार (इन्फ्रा)